

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

**जज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर**

परमजीत कौर बनाम सुखवन्त सिंह आदि 2023/234  
किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 08 सन् 2023

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

08.06.2023

प्रार्थी परमजीत कौर पत्नी छिन्दपाल सिंह पुत्री गज्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी चक 55 एफ तहसील श्री करणपुर जिला गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 148ए सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 88 एफ के खाता संख्या 66/70 के मु. न. 53 की भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण या अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें कोई प्रभावी आदेश प्रार्थी को सुने बिना नहीं दिया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर**

27/3

आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर**

